



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 952/अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 09/01/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'इकहत्तरवीं' बैठक गुरुवार, दिनांक 05.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति —अध्यक्ष

1. डॉ. एस.के. प्रसाद	— सदस्य	10. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	— सदस्य
2. डॉ. सौम्या नैय्यर	— सदस्य	11. डॉ. अमिताभ पाण्डेय	— सदस्य
3. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	— सदस्य	12. डॉ. एम.एल. नायक	— सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	— सदस्य	13. श्री सोनाऊ राम नेताम	— सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	— सदस्य	14. श्री सत्यनारायण शर्मा	— सदस्य
6. डॉ. के.एन. शर्मा	— सदस्य	15. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	— सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा	— सदस्य	16. श्री डमरूधर पुजारी	— सदस्य
8. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	— सदस्य	17. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	— सदस्य
9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	— सदस्य		

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव —सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,43,522.00 (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार पाँच सौ बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
4. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 23,10,736.00 (रुपए तेईस लाख दस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।
5. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 21,87,584.00 (रुपए इक्कीस लाख सतासी हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. श्री रावेंद्र प्रसाद शुक्ला, टाईमकीपर, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 07,02,855.00 (रुपए सात लाख दो हजार आठ सौ पचपन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,02,669.00 (रुपए पाँच लाख दो हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर—जनवरी 2022—23 हेतु निर्धारित 36 परीक्षा केंद्रों के अग्रिम प्रदाय राशि रु. 7,05,000/— (सात लाख पाँच हजार मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 39/विकास/सु.व्य./22 दिनांक 18.01.2022 के तहत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म **New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur** का कार्यकाल दिनांक 31/12/2022 को समाप्त होने एवं फर्म का कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

10. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 37/विकास/सफाई व्य./2022 दिनांक 18.01.2022 के तहत परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म **New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur** का कार्यकाल दिनांक 31/12/2022 को समाप्त होने एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ—सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला—धमतरी को हिंदी विषय में शोध—केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला—धमतरी को हिंदी विषय में शोध—केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 15.12.2022 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित विनियम 107 की कांडिका 08 के प्रावधान के अनुरूप करने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-17/2022/38-2 दिनांक 27.12.2022 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program) माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: नवीन **Ordinance No. 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program)** को अंगीकृत किया गया।

3. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 में पारित, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक-197 की कंडिका 5(5.1)(iii) "Actual credits in each semester may vary as per Appendix-I. The detailed structure of UGCF courses with credit shall be notified by the Univeristy through the Regulation from time to time." के अनुक्रम में तैयार नवीन विनियम क्र. 201 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: नवीन विनियम क्रमांक-201 (**The regulation specifies the structure of UGCF courses, credit point and other miscellaneous provisions under the Ordinance No. 197**) का अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 184 के अंतर्गत नवीन विनियम 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विनियम क्रमांक-184-B 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. MS Office Pro Plus 2021 Software क्रय देयक राशि रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: Microsoft के **Authorised Partner M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.)** फर्म के द्वारा 200 नग Microsoft Software Licence आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. 701 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।



6. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 2 प्रदेश स्तरीय एवं 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

7. सत्र 2022-23 के लिए कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की निविदा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam मद से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

8. University Examination-Results Automation कार्य की निविदा सूचना छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश-स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय-स्तरीय बहुप्रसारित समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई कार्यवाही की सूचना माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: University Examination-Results Automation संबंधी कार्य किए जा रहे कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु लगाए गए 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु राशि रु. 10,19,588=00 (रुपए दस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) व्यय की स्वीकृति एवं प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय रु. 1,65,672=00 (रुपए एक लाख पैंसठ हजार छः सौ बहत्तर मात्र) की स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. (1) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट मेसर्स डी.एल. झा को देयक रु. रु. 10,83,128.00 (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अठाईस मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।
- (2) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने बजट पुनर्नियोजन कर रु. 43,32,512/- (रुपए तिरालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ खुली निविदा आमंत्रण करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।


निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

11. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वार्षिक रखरखाव हेतु कार्यपरिषद् से पूर्व स्वीकृत राशि रु. 35,59,548/- (रुपए पैंतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) में से 50% शेष राशि रु. 17,79,744/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौवालीस मात्र) सहायक संचालक, उद्यान, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विश्वविद्यालय की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने बजट सत्र 2022-23 की 3(b) M&R To Roads की शेष राशि रु. 30 लाख के अंतर्गत व्यय किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: द्वितीय न्यूनतम निविदा दर @22.13% एस.ओ.आर. से कम फर्म मे. संस्कृति इंफ्रास्ट्रकचर, रायपुर से न्यूनतम दर पर विश्वविद्यालय की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने बजट सत्र 2022-23 की 3(b) M&R To Roads की शेष राशि रु. 30 लाख के अंतर्गत व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।



13. रूसा परियोजना अंतर्गत प्रेक्षागृह के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त राशि रु. 50 लाख के उपयोग सड़क डामरीकरण के लिए किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वर्ष 2022-23 में रख-रखाव हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सहायक संचालक उद्यान, रायपुर के प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्रमांक/उद्यान/ लेखा/22-23 265 दिनांक 10.08.2022 में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रेल्वे रिजर्वेशन काउंटर, कला भवन के सामने, भू-गर्भशास्त्र विभाग भवन के सामने विकसित उद्यानों को वर्ष 2022-23 में रख-रखाव करने प्राप्त प्राक्कलन का अनुमोदन कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 38/यांत्रिकी/2022 दिनांक 16.11.2022 द्वारा राशि रु. 14,35,813/- (रुपए चौदह लाख पैंतीस हजार आठ सौ तेरह मात्र) स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत राशि की अनुपातिक राशि रु. 6,36,480/- की कटौती कर शेष राशि रु. 7,99,333/- (रुपए सात लाख नियांनबे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) Engg.unit 2 के Garden maint. हेतु स्वीकृत बजट मद से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

15. विश्वविद्यालय परिसर के भवनों की बाह्य पोताई हेतु बजट वर्ष 2022-23 में राशि रु. 29.00 लाख (Central Modular Kitchen से Campus Beautification Head में) पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में विचार करना

निर्णय: विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2022-23 के Engg-Unit मद क्र. (10) Campus Beautification में प्रावधानित राशि रु. 30.00 लाख (रु. तीस लाख) में मात्र रु. 10.00 लाख (रु. दस लाख) शेष है, अतः अनुबंधित कार्य की पूर्णता हेतु Engg-Unit के बजट मद क्र. B/14-Central Modular Kitchen में प्रावधान राशि रु. 200.00 लाख में से बजट मद क्र.(10) Campus Beautification में रु. 29.00 लाख पुनर्नियोजन की स्वीकृति तथा पूरक कार्य की कार्यपूर्णता समयावधि दिनांक 18 मार्च 2023 तक वृद्धि करने स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के डामरीकरण हेतु बजट पुनर्नियोजन राशि रु. 60.00 लाख बजट मद Central Modular Kitchen से M&R To Road मद में करने पर विचार करना

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर के कार्यालयीन, आवासीय भवनों के आंतरिक मार्ग सुधार कार्य आवश्यकता अनुसार शेष डामरीकरण हेतु Engineering Unit के बजट मद क्र.-14 Central Modular Kitchen में प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख के बजट मद से 3(b) M&R To Roads में राशि रु. 60.00 लाख (रु.साठ लाख मात्र) की बजट पुनर्नियोजन एवं अनुमानित प्राक्कलन अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. पी-एच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है) को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय किए जाने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 एवं पत्र क्र. 678/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 12.12.2022 के अनुक्रम में मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.सी. डी.लिट्.) अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के प्रकरण पर विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: पी-एच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है) को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय किए जाने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 एवं पत्र क्र. 678/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 12.12.2022 के अनुक्रम में मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.सी. डी.लिट्.) अर्जित करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

18. डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान को Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals, Shastri Bhawan, New Delhi के आदेश क्रमांक F.No. 56013/03/2020-NIPER Dated: 16 December, 2022 के द्वारा डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को Director, national Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 26.12.2022 के अनुक्रम में दिनांक 11.01.2023 से प्रोफेसर के पद पर 05 वर्ष की धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृत प्रदान की गई।

19. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2015 के द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं समकक्षीय पदों के लिए पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान के अनुरूप Ordinance No. 58 (Revised) "Scale of pay for Teachers of the University" में संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

20. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 703/223/आउशि/ 2021 के परिपालन में दिनांक 26.02.2021 से एक वर्ष के लिए पुनःश्च छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 9-3/2022/38-2, दिनांक 26.04.2022 में प्राप्त अनुमति अनुसार पेंशन माइनस वेतन आधार पर दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2024 तक एक वर्ष हेतु पुनः संविदा अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. 06 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय किए जाने अनुमानित व्यय रु. 9,73,418=76 (नौ लाख तिरहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह रुपए छिहत्तर पैसे मात्र) (परिवर्तनीय) विभागीय एवं केंद्रीय क्रय समिति के अनुशंसा के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: 06 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय किए जाने अनुमानित व्यय रु. 9,73,418=76 (नौ लाख तिरहत्तर हजार चार सौ अट्ठारह रुपए छिहत्तर पैसे मात्र) (परिवर्तनीय) निम्नलिखित फर्म से क्रय किए जाने निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

क्र.	फर्म	ई-शोध पत्रिकाओं की संख्या	भुगतान किए जाने वाली राशि
1	Total Library Solutions, (1) Pvt. Ltd., New Delhi	03	323836.5
2	Infokart India Pvt. Ltd., New Delhi	03	649582.26
	कुल	06	973418.76

गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागीय अधिकारी द्वारा रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) तक खर्च करने के स्थान पर रु. 2000/- (रुपए दो हजार मात्र) तक खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागीय अधिकारी द्वारा रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) तक खर्च करने के संबंध में विचारोपरांत रु. 3000/- (रुपए तीन हजार मात्र) तक खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण हेतु संस्थान के बजट मद 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्चर में से अनुमानित राशि रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब का निर्माण किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान के बजट 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्सर में राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) में से निविदा के माध्यम से कार्य किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन की प्रक्रिया को आगे जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः SSR की स्वीकृति के तहत प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में दिनांक 20.02.2023 तक जमा करने के लिए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई -

Assessment and Accreditation Fees (balance 50% of total fees)	Rs. 1,50,000/- + GST 18%	Rs. 1,77,000/-
Logistic Fees	Rs. 5,00,000/- + GST 18%	Rs. 5,90,000/-
Total		Rs. 7,67,000/-


गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-


25. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विभिन्न संकायों में पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2022 से 03.01.2023 (अधिसूचना क्रमांक 3677 से 3720 तक) कुल 43 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि करने की अधिसूचना का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

कला संकाय	—	हिंदी-04, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान-02, अंग्रेजी-05
सामाजिकविज्ञान संकाय	—	समाजशास्त्र-03, इतिहास-04, राजनीतिविज्ञान-03, अर्थशास्त्र-05, मनोविज्ञान-01, प्रा.भा. इतिहास एवं पुरातत्व-01,
वाणिज्य संकाय	—	वाणिज्य-03
गृहविज्ञान संकाय	—	गृहविज्ञान-03
शारीरिक शिक्षा संकाय	—	शारीरिक शिक्षा-01
विज्ञान संकाय	—	गणित-01, भौतिकी-01, रसायन-05, भूगोल-02,
जीवविज्ञान संकाय	—	वनस्पतिशास्त्र-01
टेक्नॉलॉजी संकाय	—	फार्मसी-01

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



प्रभारी कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 953 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 09/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)